LABOUR DEPARTMENT

The 21st June, 1987

No. 3/51/87-3Lab.—In pursuance of the provisions of section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948), the Governor of Haryana hereby gives notice of his intention to include the following employment in Part-I of Schedule appended to the said Act in respect of which he is of the opinion that minimum rates of wages should be fixed under the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the proposal referred to above will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Labour Department, Chandigarh, from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified:—

DRAFT AMENDMENT

In the said Act, in the Schedule, in Part-I, after serial number 51 and entry there against the following serial number and entry there against shall be inserted, namely:—

"52—Employment in the Cooperative Credit and Service Societies and Mini Banks.".

T. D. JOGPAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.

श्रम विभाग

दिनांक 21 जून, 1987

संख्या 3/51/87-3.—श्रम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम XI) की धारा 27 के उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित रोजगार को उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची के भाग I में शामिल करने के अपने आशय का नोटिस देते हैं जिसके सम्बन्ध में उनकी राय है कि उक्त अधिनियम के अधीन दरें ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिये नियत की जानी चाहिए जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् ऊपर निर्दिष्ट प्रस्ताव पर, सरकार द्वारा, आक्षेपों अथवा सुझावों सहित यदि कोई हो, जो सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ़ को इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, भाग I में, क्रम संख्या 51 और उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्ट रखी जायेगी, अर्थात् :—

"52–सहकारी ऋण एवं सेवा समितियों तथा मिनी बैंकों में नियोजन"

टी. डी. जोगपाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग।